43

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

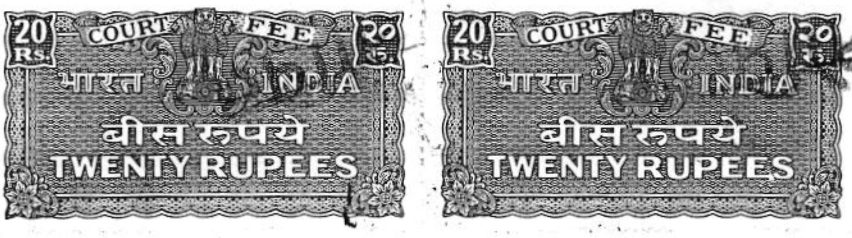

III/निगरानी/सीधी/भू०रा/2018/1915

जयप्रताप सिंह तनय केशरी सिंह चंदेल उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– चौफाल पवाई, तहसील– गोपदबनास, जिला–, सीधी (म.प्र.)

——— आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

———— गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

बृजेश किशोर पाण्डे
22-3-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 27-3-18 को।
22-3-18

निगरानी याचिका विरूद्ध कार्यवाही एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार, तहसील– गोपदबनास, सर्किल– सेमरिया, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 03/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक– 18.01.2018 नितान्त विधि विरूद्ध तरीके से सीमांकन की पुष्टि की गयी है।

अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है:–

1. यह कि कार्यवाही एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं न्याय के प्रतिकूल होने के कारण काबिल निरस्तगी है।

2. यह कि हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—दो/निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/1915

जयप्रसाद सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05—03—2019	7. प्रकरण प्रस्तुत । 8. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 9. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास, सर्किल सेमरिया, जिला—सीधी के प्र.क्र. 03/अ—12/2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18—01—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 10. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 11. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 5/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	